उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
म्बरः–91/2018 प्रार्थना पत्र
श्वर पिता उदयराम नायक, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
मलाल पिता उदयराम नायक, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाडा
कमला पत्नि शंभु नायक, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
पुत्री शंभु नायक, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
ाता शभू नायक, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————प्रार्थीगण

बनाम

नलाल पिता भज्जा खटीक, उम्र बालिग निवासी दादीया तहसील व जिला भीलवाड़ा
ालाल पिता भोना चमार, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
मा पिता पृथ्वीराज ब्राहम्ण, उम्र बालिग निवासी सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा
मन्टू पत्नि गोपाल धोबी, उम्र बालिग निवासी पांसल तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
———विपक्षीगण

————

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांकः–29.3.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान स्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम सांगवा हल्का सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 1329/1 रकबा 3 बीघा ा, 2284/1329 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की यात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 16.4.2018 को पंजीबद्व किया जाकर सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे पत्रावली किये गये । विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत स्थित नहीं होने के कारण दिनांक 15.3.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 स्वीकार किया जाकर ग्राम सांगवा पटवार हल्का सांगवा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित जी नम्बर 1329/1 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, 2284/1329 रकबा 4 बीघा कुल किता 2 रकबा बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को 750/–रूपये (सात सौ पचास रूपये) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner